निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

पकरण संख्या 27/2024
दायरा दिनांक:-08.05.2024
निर्णय दिनांक:- 14.10.25

उनवान

1. श्योजी उर्फ शिवनारायण आयु 77 वर्ष आत्मज रतना जाति धाकड निवासी ग्राम रीझडी तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. द्रोपती बाई आयु 65 वर्ष बेवा किशना जाति धाकड निवासी रीझडी तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
2. सीमा आयु 42 वर्ष पुत्री किशना पत्नि बिरधीचन्द जाति धाकड निवासी बमोरीघाटा तहसील छीपाबडौद जिला बारां (राज0)
3. अनीता आयु 40 वर्ष पुत्री किशना पत्नि राजेन्द्र जाति धाकड निवासी ग्राम गुरूखेडी तहसील छीपाबडौद जिला बारां (राज0)
4. हेमलता आयु 35 वर्ष पुत्री किशना पत्नि दिनेश जाति धाकड निवासी बारां तहसील जिला बारां (राज0)
5. सुरेन्द्र आयु 30 वर्ष आत्मज किशना जाति धाकड निवासी रीझडी तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
6. प्रीती आयु 25 वर्ष पुत्री किशना जाति धाकड निवासी ग्राम रीझडी तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
7. मोहनलाल आयु 65 वर्ष आत्मज रतना जाति धाकड निवासी ग्राम रीझडी तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
8. प्रेमनारायण आयु 63 वर्ष आत्मज रतना जाति धाकड निवासी रीझडी तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
9. शम्भूदयाल आयु 50 वर्ष आत्मज जगन्नाथ जाति धाकड निवासी ग्राम नयगावं तहसील छीपाबडौद जिला बारां (राज0)
10. ओमप्रकाश आयु 45वर्ष आत्मज जगन्नाथ जाति धाकड़ निवासी ग्राम नयागांव तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां राजस्थान
11. हंसराज आयु 40 वर्ष आत्मज जगन्नाथ जाति धाकड़ निवासी ग्राम नयागांव तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां राजस्थान
12. चम्पाबाई आयु 55वर्ष पुत्री जगन्नाथ पत्नि धन्नालाल जाति धाकड़ निवासी ग्राम खाखरा तहसील छबड़ा जिला बारां राजस्थान

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

7. मोहनलाल आयु 65वर्ष आत्मज रतना जाति धाकड़ निवासी ग्राम रीझड़ी तहसील छबड़ा जिला बारां राजस्थान

13. चमेलीबाई आयु 53वर्ष पुत्री जगन्नाथ पत्नि प्रेमनारायण जाति धाकड़ निवासी ग्राम कवाई तहसील अटरू जिला बारां राजस्थान
14. भूलीबाई आयु 51 वर्ष पुत्री जगन्नाथ जाति पत्नि नवल जाति धाकड़ निवासी ग्राम रीछड़ा तहसील छबड़ा जिला बारां राजस्थान
15. भगवती आयु 42वर्ष पुत्री जगन्नाथ पत्नि सत्यनारायण जाति धाकड़ निवासी ग्राम नोहल्या तहसील अटरू जिला बारां राजस्थान
16. धीरज आयु 27 वर्ष आत्मज चतरभुज जाति धाकड़ निवासी ग्राम कोटडी तहसील अटरू जिला बारां राजस्थान
17. गुड्डीबाई आयु 39वर्ष पुत्री चतरभुज पत्नि रमेश जाति धाकड़ निवासी आवंली रोड़ली कोटा जिला कोटा राजस्थान
18. पपीता आयु 37वर्ष पुत्री चतरभुज पत्नि रामेश्वर जाति धाकड़ निवासी अटरू जिला बारां राजस्थान
19. ममता आयु 35वर्ष पुत्री चतरभुज पत्नि प्रकाशचंद जाति धाकड़ निवासी ग्राम लाखाखेड़ी तहसील खानपुर जिला झालावाड़ राजस्थान
20. धापू आयु 33वर्ष पुत्री चतरगुज पत्नि विमल जाति धाकड निवासी ग्राम हिकड तहसील अटरू जिला बारां राजस्थान
21. मनभर आयु 31वर्ष पुत्री चतरभुज पत्नि पवन जाति धाकड़ निवासी ग्राम हीकड तहसील छबड़ा जिला बारां राजस्थान
22. नीलू आयु 28वर्ष पुत्री चतरभुज पत्नि नीलकमल जाति धाकड़ निवासी ग्राम बून्दी विजोरा तहसील बारां जिला बारां राजस्थान
23. दाखा आयु 70 वर्ष पुत्री रतना पत्नि हीरालाल जाति धाकड़ निवासी कडैयावन तहसील छबड़ा जिला बारा राजस्थान
24. पारा आयु 55 वर्ष पुत्री रतना पत्नि देवकिशन जाति धाकड़ निवासी ग्राम कडैयावन तहसील छबड़ा जिला बारां राजस्थान
25. चन्द्रप्रकाश आयु 45 वर्ष आत्मज प्रभूदयाल जाति धाकड़ निवासी ग्राम रीझड़ी तहसील छबड़ा जिला बारां राजस्थान
26. जोधराज आयु 41 वर्ष आत्मज प्रभूदयाल जाति धाकड़ निवासी ग्राम रीझड़ी तहसील छबड़ा जिला बारां राजस्थान
27. बनासीबाई आयु 60 वर्ष पुत्री घांसी जाति नाथ निवासी कवाई तहसील अटरू
28. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारां (राज0)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट0

निर्णय दिनांकः— 14.10.25

अभिभाषक उपस्थितः—1. श्री कमलसिंह आसावत — प्रार्थी
2. श्री हेमन्त पारीक — अप्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

1. मोहनलाल आयु 65वर्ष आत्मज रतना जाति धाकड़ निवासी ग्राम रीझड़ी तहसील छबड़ा जिला बारां राजस्थान

---2

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 आर.टी.ए विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि ग्राम रीझड़ी तहसील छबड़ा जिला बारां राजस्थान में भूमियां खसरा नम्बरान 102 रकबा 0.4426 हैक्टयर, खसरा नम्बर 16 रकबा 1.2014 हैक्टयर, खसरा नम्बर 16/2 रकबा 0.1897 हैक्टयर, खसरा नम्बर 26 रबका 0.4553 हैक्टयर, खसरा नम्बर 28 रकबा 0.2023 हैक्टयर, खसरा नम्बर 33 रकबा 0.5817 हैक्टयर, खसरा नम्बर 37 रकबा 1.0497 हैक्टयर, खसरा नम्बर 38 रकबा 0.2150 हैक्टयर, खसरा नम्बर 39 रकबा 1.0623 हैक्टयर, खसरा नम्बर 66 रकबा 0.2909 हैक्टयर, खसरा नम्बर 97 रकबा 8220 हैक्टयर, कुल 11 किता आराजीयात मवाजी 6.5129 हैक्टयर, अवस्थित हैजो प्रार्थी तथा अप्रार्थीगण कम संख्या 1 लगायत 8 एंव अप्रार्थीगण कम संख्या 23 ता 26 तथा गणपति तथा पुष्पा के शामलाती खातेदारी मे दर्ज चली आ रही है। उक्त वर्णित भूमियां पैत्रिक सम्पत्ति अर्थात प्रार्थी के पिता रतना के खातेदारी की थी रतना का स्वर्गवास अर्सा लगभग 40 वर्षो पूर्व हो चुका है जिसके जायज वारिस तथा कायम मुकामान प्रार्थी तथा अप्रार्थीगण कम 7–8 मोहनलाल प्रेमनारायण तथा किशन पुत्र एंव पुत्रिया अप्रार्थीगण दाखा पारा एवं गणपति तथा पुष्पा है। जो उक्त वर्णित भूमियो के समभाग से अर्थात प्रार्थी हिस्सा 1/8 अप्रार्थी कम संख्या 7 हिस्सा 1/8 अप्रार्थी कम सख्या 8 हिस्सा 1/8 तथा किशन हिस्ता 1/8 इसी प्रकार अप्रार्थीया कम संख्या 23 दांखा हिस्सा 1/8 तथा गणपति हिस्सा 1/8 एवं पुष्पा हिस्सा 1/8 के अनुपात से वैधानिक एंव कानूनी तौर पर खातेदारान है। उक्त वर्णित भूनियो के मूल खातेदारान रतना के जायज वारिस तथा कायममुकामान में से किशन का स्वर्गवास अर्सा लगभग 20 वर्षो पूर्व हो चुका है जिसके जायज वारिस तथा कायम मुकामान अप्रार्थीगण कम संख्या 1 लगायत 6 है। जो कि मृतक किशन के स्थान पर हिस्सा 1/8 के वैधानिक एंव कानूनी तौर पर खातेदारान है इसी प्रकार रतना की पुत्री गणपति का भी स्वर्गवास अर्सा लगभग 12 वर्षो पूर्व हो चुका है जिसके जायज वारिस तथा कायम मुकामान अप्रार्थीगण कम संख्या 9 लगायत 15 है जो मृतक गणपति के स्थान पर हिस्सा 1/8 के वैधानिक एव कानूनी तौर पर खातेदारान है इसी प्रकार रतना की पुत्री पुष्पा का भी स्वर्गवास अर्सा लगभग 8 वर्षो पूर्व हो चुका है जिसके जायज वारिस तथा कायम मुकामान अप्रार्थीगण कम संख्या 16 लगायत 22 है जो मृतक पुष्पा के स्थान पर हिस्सा 1/8 के वैधानिक एवं कानूनी तौर पर खातेदारान है।

अप्रार्थी क्रम संख्या 7 मोहनलाल ने अपने 1/8 हिस्से की भूमि मे से हिस्सा 13/206 अप्रार्थी क्रम संख्या 25 चन्द्रप्रकाश को इसी प्रकार अप्रार्थी क्रम संख्या 8 प्रेमनारायण ने अपने 1/8 हिस्से की भूमि मे से हिस्सा 13/206 अप्रार्थी क्रम संख्या 26 जोधराज को बेचान कर दिया जो अप्रार्थीगण कम संख्या 25 एंव 26 के नाम खातेदारी मे दर्ज की जा चुकी है। उक्त वर्णित भूमियो के मूल खातेदार रतना की मृत्यु हो जाने के पश्चात अप्रार्थीगण क्रम संख्या 9 लगायत 15 की मृतक माता गणपति ने अपने जीवनकाल में ही अपना 1/8 हिस्से का त्याग अपने स्वेच्छा एंव राजीखुशी से प्रार्थी के पक्ष में इसी प्रकार से अप्रार्थीगण क्रम संख्या 16 लगायत 22 की मृतक माता पुष्पा ने अपने जीवनकाल मे ही अपनी स्वेच्छा एंव राजी खुशी से अपना 1/8 हिस्से का त्याग अप्रार्थी कम संख्या 7 मोहनलाल के पक्ष में तथा इसी प्रकार से अप्रार्थीया कम संख्या 23 दाखा ने अपना 1/8 हिस्से का त्याम अपनी स्वेच्छा एंव राजीखुशी से अप्रार्थीया कम संख्या 1 द्रोपतीबाई के पति तथा अप्रार्थीगण क्रम संख्या 2 लगायत 6 के पिता किशन के पक्ष मे इसी प्रकार अप्रार्थीया क्रम संख्या 24 पारा ने अपनी स्वेच्छा एव राजीखुशी से अपने 1/8

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

7. मोहनलाल आयु 65वर्ष आत्मज रतना जाति धाकड़ निवासी ग्राम रीझड़ी तहसील छबड़ा जिला बारां राजस्थान

हिस्से का त्याग अप्रार्थी क्रम संख्या 8 प्रेमनारायण के पक्ष में अर्सा लगभग 40 वर्षों पूर्व कर दिया जब से ही गणपति के 1/8 हिस्से पर प्रार्थी तथा इसी प्रकार पुष्पा के 1/8 हिस्से पर अप्रार्थी क्रम संख्या 7 मोहनलाल एंव अप्रार्थीया क्रम संख्या 24 पारा के 1/8 हिस्से पर अप्रार्थी क्रम संख्या 8 प्रेमनारायण दाखा के 1/8 हिस्से पर किशनलाल अपने जीवन पर्यन्त तथा उसकी मृत्यु के बाद से उसके जायज वारिस तथा कायम मुकामान अप्रार्थीगण क्रम संख्या 1 ता 6 नियमित रूप से अभी तक ब्हेसियत खातेदारान के काबिज है। और काश्त करते हुये चले आ रहे है जिसको अर्सा 40 वर्षों का समय हो जाने के कारण प्रार्थी का गणपति के 1/8 हिस्ते पर तथा पुष्पा के 1/8 हिस्से पर अप्रार्थी क्रम 7 मोहनलाल एंव अप्रार्थी क्रम 23 दाखा के 1/8 हिस्से पर अप्रार्थीगण कम संख्या 1 ता 6 एवं अप्रार्थी क्रम संख्या 24 पारा के 1/8 हिस्से पर अप्रार्थी क्रम संख्या 8 प्रेमनारायण का ऐडवर्स पजेशन (कब्जा मुखालपाना) हो चुका है और बाई आपरेशन ऑफ ला के तहत प्रार्थी मृतक गणपति के 1/8 हिस्से पर तथा अप्रार्थीया कम संख्या 23 दाखा के 1/8 हिस्से पर अप्राधर्थीगण कम संख्या 1 ता 6 का एंव पुष्पा के 1/8 हिस्से पर अप्रार्थी कम संख्या 7 मोहनलाल एंव अप्रार्थीया कम संख्या 24 पारा के 1/8 हिस्से पर अप्रार्थीया कम संख्या 8 प्रेमनारायण स्वतः ही खातेदारी की श्रेणी को प्राप्त कर चुके है। और धारा 63 राजस्थान टेनेन्सी एक्ट के प्रावधानों के तहत मूल खातेदारान अर्थात प्रार्थी की बहिनो गणपति दात्या, पुष्पा, एंव पारा, की खातेदारी स्वतः ही समाप्त हो चुकी है अतः प्रार्थी गणपति के 1/8 हिस्से पर एंव अप्रार्थीगण कम 1 ता 6 अप्रार्थी कम 23 दाखा के 1/8 हिस्से पर तथा पुष्पा के 1/8 हिस्से पर अप्रार्थी क्रम संख्या 7 मोहनलाल एवं अप्रार्थीया कम संख्या 24 पारा के 1/8 हिस्से पर प्रेमनारायण अपने आपको खातेदार घोषित कराकर भूमियो को अपने अपने नान खातेदारी में दर्ज कराने के वैधानिक एव कानूनी तौर पर अधिकारी है।

गणपति दाखा, पुष्पा एंव पारा द्वारा अपनी स्वेच्छा एंव राजीखुशी से अपने अपने हिस्से की भूमियो का त्याग अपने चारो माईयो अर्थात् प्रार्थी एंव किशन तथा अप्रार्थीगण क्रम संख्या 7 व 8 मोहनलाल तथा प्रेमनारायण के पक्ष में कर दिये जाने के पश्चात उक्त वर्णित भूमियो का आपसी पारिवारिक विभाजन प्रार्थी तथा किशन एंव आप्रार्थीगण क्रम संख्या 7 व 8 मोहनलाल एव प्रेमनारायण ने अपनी स्वेच्छा एंव राजी खुशी से हिस्सा 1/4 हिस्सा 1/4 के अनुपात से कर्ता लगभग 40 वर्षों पूर्व ही कर लिया आपसी पारिवारिक विभाजन मे प्रार्थी को भूमि खसरा नम्बर 16 रकबा 1.2014 हैक्टयर खसरा नम्बर 28 रकबा 0.2023 हैक्टयर तथा खसरा नम्बर 33 का हिस्सा 1/4 एंव खसरा नम्बर 16/2 रकबा 0.1897 हैक्टयर प्रार्थी के हिस्से में देकर उसको संभलाई गई है। इसी प्रकार अप्रार्थीगण क्रम संख्या 23 द्वारा अपना 1/8 हिस्सा किशन के पक्ष में कर देने के कारण किशन को भूमि खसरा नम्बर 66 का हिस्सा 1/2 एंव खसरा नम्बर 102 का हिस्सा 1/2 खसरा नम्बर 26 का हिस्सा 1/2 तथा खसरा नम्बर 37 एंव खसरा नम्बर 33 का हिस्सा 1/4 पारिवारिक विभाजन मे संभलाया गया जो किशन के जीवन पर्यन्त तक तथा उसकी मृत्यु हो जाने के पश्चात उसके जायज वारिस तथा कायम मुकामान अप्रार्थीगण 1 ता 6 के आधिपत्य में चली आ रही है। इसी प्रकार से पुष्पा द्वारा अपना 1/8 हिस्सा अपने भाई अप्रार्थी क्रम 7 मोहनलाल के पक्ष में त्याग देने के कारण भूमि खसरा नम्बर 97 का 1/2 हिस्सा एंव खसरा नम्बर 33 का 1/4 हिस्सा खसरा नम्बर 102 का हिस्सा 1/2 एव खसरा नम्बर 26 हिस्सा 1/2 एंव खसरा नम्बर 39 का हिस्सा 1/2 एव खसरा नम्बर 38 का हिस्सा 1/2 अप्रार्थी क्रम संख्या 7 मोहनलाल को विभाजन में संभलाया गया जो उसके आधिपत्य मे चली आ रही है। इसी प्रकार से अप्रार्थीया क्रम संख्या 24 पारा के

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

7. मोहनलाल आयु 65वर्ष आत्मज रतना जाति धाकड़ निवासी ग्राम रीझड़ी तहसील छबड़ा जिला बारां राजस्थान

---2

द्वारा अपना 1/8 हिस्सा अपने भाई अप्रार्थी क्रम संख्या 8 के पक्ष में त्याग देने के कारण भूमि खसरा नम्बर 97 का हिस्सा 1/2 खसरा नम्बर 66 का हिस्सा 1/2 खसरा नम्बर 39 का हिस्सा 1/2 खसरा नम्बर 38 का हिस्सा 1/2 एव खसरा नम्बर 33 का हिस्सा 1/4 अप्रार्थी क्रम संख्या 8 प्रेमनारायण को पारिवारिक विभाजन मे संभलाया गया जो अप्रार्थी क्रम संख्या 8 प्रेमनारायण के आधिपत्य में चली आ रही है। इसी प्रकार खसरा नम्बर 97 में से 0.8220 हैक्टयर भूमि प्रतिवादी कम संख्या 25 चन्द्रप्रकाश एंव भूमि खसरा नम्बर 97 मे से 0.8220 हैक्टयर प्रतिवादी कम संख्या 26 जोधराज के आधिपत्य मे चली आ रही है। जिसको अर्सा 40 वर्षो का समय हो चुका है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण क्रम संख्या 1 ता 26 से भूमियो का विभाजन वाद पत्र की मद नम्बर 6 के अनुसार कर आपसी पारिवारिक विभाजन मे प्रार्थी को संभलायी गई भूमियां खसरा नम्बर 16 एंव 16/2 तथा खसरा नम्बर 28 तथा खसरा नम्बर 33 का हिस्सा 1/4 को खाते से विभक्त कर प्रार्थी के नाम पृथक खातेदारी में दर्ज कराने का कई मर्तबा अनुरोध किया किन्तु वह टालम टूल करते रहे अन्त मे अप्रार्थीगण कम संख्या 1 ता 26 ने दिनांक 31/03/2024 को भूमियो का विभाजन कर भूमिया खसरा नम्बर 16 एवं 16/2 एंव खसरा नम्बर 28 एवं खसरा नम्बर 33 का हिस्सा 1/4 को खाते से विभक्त करने एवं प्रार्थी के नाम पृथक खातेदारी मे दर्ज कराने से कतई इन्कार कर दिया अतः प्रार्थी भूमियो का वाद पत्र की मद नम्बर 6 में वर्णित पारिवारिक विभाजन के अनुसार विभाजन करवाने एवं प्रार्थी को पारिवारिक विभाजन में संभलाई गई भूमियां खसरा नम्बर 16 तथा 16/2 तथा खसरा नम्बर 28 एंव खसरा नम्बर 33 का 1/4 हिस्से को खाते से विभक्त करवाकर उनको प्रार्थी अपने नाम पृथक खातेदारी मे दर्ज करवाने का वैधानिक एव कानूनी तौर पर अधिकारी है।

प्रार्थी ने अप्रार्थी कम संख्या 28 तहसील छबडा के सम्बन्धित रेवेन्यु अधिकारी से सम्पर्क कर प्रार्थी के पक्ष में गणपति द्वारा त्याग किये गये अपने 1/8 हिस्से की भूमियो को प्रार्थी के नाम इसी प्रकार से अप्रार्थीया 23 क्रम दाखा का हिस्सा 1/8 किशन के वारिस अप्रार्थी क्रम 1 ता 6 एवं पुष्पा का 1/8 हिस्सा अप्रार्थी क्रम 7 मोहनलाल एव अप्रार्थी कम 24 पारा का हिस्सा 1/8 अप्रार्थी कम 8 प्रेमनारायण के खातेदारी मे दर्ज करने क कई मर्तबा अनुरोध किया किन्तु वह टालमटूल करते रहे अन्त में दिनांक 15/04/2024 को पुनः अनुरोध करने पर अप्रार्थी कम संख्या 28 द्वारा खातेदारी का प्रार्थना पत्र सक्षम न्यायालय में पेश करने की हिदायत दी। उक्त वर्णित शामलाती खाते की भूमियो मे प्रार्थी का अधूरा नाम श्योजी दर्ज हो गया। जब कि प्रार्थी का पूरा नाम शिवनारायण है आधार कार्ड, पेन कार्ड बैंक खाता डायरी एंव जन आधार कार्ड एवं राशन कार्ड, अर्थात सम्पूर्ण सरकारी दस्तावेजात मे प्रार्थी का पूरा नाम शिवनारायण ही दर्ज है उक्त वर्णित भूमियो के खाते में प्रार्थी नाम श्योजी दर्ज हो के कारण प्रार्थी के. सी. सी. तथा बैंक द्वारा ऋण एव राज्य सरकार तथा भारत सरकार द्वारा जन कल्याण कारी योजनाओ के लाभ से वंचित हो रहा है इस कारण प्रार्थी ने अप्रार्थी क्रम संख्या 28 तहसीलदार छबडा सम्बन्धित रेवेन्यु अधिकारियो से सम्पर्क कर उक्त वर्णित भूमियो के खाते में दर्ज वादी का नाम श्योजी के स्थान पर शिवनारायण दर्ज कर खाते में संशोधन करने का भी कई मर्तबा अनुरोध किन्तु कोई सुनवाई नहीं की अन्त में दिनांक 15/04/2024 को ही संशोधन हेतु न्यायालय एस०डी०ओ० छबड़ा में कार्यवाही करने की हिदायत प्रार्थी को दी। अतः प्रार्थी खाते मे उक्त संशोधन भी कराने का अधिकारी है। अप्रार्थीया क्रम संख्या 27 बनारीबाई लड़ाकू झगड़ालू, किस्म की महिला जो प्रार्थी को झूठे मुकदमो में फसाकर प्रार्थी के कब्जो

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

—7. मोहनलाल आयु 65वर्ष आत्मज रतना जाति धाकड़ निवासी ग्राम रीझड़ी तहसील छबड़ा जिला बारां राजस्थान

काश्त में चली आ रही भूमि खसरा नम्बर 16/2 पर बगैर किसी अधिकार के जबरन ताकत के बल पर आधिपत्य करने को आमादा है। दिनांक 28/04/2024 को प्रार्थी के उक्त भूमि में खरार करते समय बांधाये उत्पन्न कर लड़ाई झगड़ा गाली गलोच करने लग गई प्रार्थी ने मना किया तो उसने धमकी कि निकट भविष्य में भूमि में पेर भी रखा तो जान से मरवा दूंगी। प्रार्थी अपनी इज्जत बचाकर वापस आ गया यदि अप्रार्थीया क्रम संख्या 27 को जयें अस्थायी निषेधाज्ञा पावन्द नही किया गया तो वह जबरन ताकत के बल पर प्रार्थी के कब्जे काश्त मे चली आ रही उक्त वर्णित भूमि पर आधिपत्य कर भूमि मे प्लाट काटकर उसमे मकानात का निर्माण करा देगी। जिसके फलस्वरूप प्रार्थी को दीगर मुकदमे बाजियो मे मसरूफ होकर जेरबार होना पड़ेगा और प्रार्थी को भयंकर रूप से आर्थिक क्षति होगी जिसकी पूर्ति होना नितान्त असंम्भव हो जावेगा। अतः प्रार्थी अप्रार्थीया क्रम 27 बनारसीबाई को जयें अस्थायी निषेधाज्ञा ताफैसलावाद से पावन्द कराने का भी अधिकारी है। प्रार्थना पत्र का कारण प्रथम बार अप्रार्थीगण क्रम संख्या 1 ता 26 द्वारा भूमियो का विभाजन कर भूमियो खसरा नम्बरान 16 एव 16/2 तथा खसरा नम्बर 28 एंव खसरा नम्बर 33 का हिस्सा 1/4 को खाते से विभक्त कर प्रार्थी के नाम पृथक खातेदारी मे दर्ज कराने से दिनांक 31/03/2024 को कतई इन्कार करने पर तथा द्वितीय अप्रार्थी क्रम संख्या 28 तहसीलदार छबड़ा द्वारा गणपति के 1/8 हिस्से की भूमियो को प्रार्थी के नाम खातेदारी में दर्ज करने एंव प्रार्थी का नाम खाते मे श्योजी के स्थान पर शिवनारायण दर्ज करने से कतई इन्कार कर प्रार्थी को सक्षम न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश करने की दिनांक 15/04/2024 को हिदायत देने पर तथा तृतीय बार अप्रार्थी क्रम संख्या 27 बनारसीबाई द्वारा दिनांक 28/04/2024 को जबरन ताकत के बल पर भूमि खसरा नम्बर 16/2 पर आधिपत्य करने की प्रार्थी को धमकी देने पर उत्पन्न हुआ।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जयें सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी क्रम 27 की ओर से जवाब पेश हुआ। अप्रार्थी क्रम 7,8,12,16,18 ता 20 एवं 25, 26 का जवाब बन्द किया गया। अप्रार्थी क्रम 1 ता 6,9 ता 11,12,15,17,21ता 24 बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नही होने के कारण उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम रीझडी सम्वत् 2075–78 संख्या 36 नकल नक्शा ट्रेस ग्राम रीझडी पेश किया गया। नकल वाद पत्र माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश प्रथम छबडा उनवान बनारसी बाई बनाम श्योजी उर्फ शिवनारायण पेश की गई।

अप्रार्थी क्रम 27 की ओर से जवाब पेश किया गया। जवाब में बताया कि अप्रार्थीया क्रम 27 को प्रार्थी की भूमि से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। प्रार्थी ने पेमाईश कराये बिना अपनी भूमि के क्षेत्रफल के अलावा सरकारी भूमि पर काबिज है जिसे पेमाइश करवाकर बेदखल किया जाना न्यायहित में है। अप्रार्थी का एक भूखण्ड ग्राम रीझड़ी मे आबादी भूमि खसरा नम्बर 60 रकबा 0.4300 हैक्टयर, भूमि में स्थित है जिसमें अन्य गांव वालो के भूखण्ड भी स्थित है जो आबादी भूमि ग्राम पंचायत के खातेदारी में है। उक्त आशय का सिविल वाद प्रार्थीया ने न्यायालय ए.सी.जे.एम. छबड़ा में पेश कर रखा है। जो तलबी की स्टेज पर है। उक्त भूखण्ड को ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थीया को आवास हीन होने की वजह से इन्द्रा आवास के तहत भूखण्ड पर कब्जा संभलाया था तब से वादीया मकान बनाकर निवास करती चली आ रही है। एंव उक्त मकान में प्रार्थीया

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

7. मोहनलाल आयु 65वष आत्मज रतना जाति धाकड़ निवासी ग्राम रीझड़ी तहसील छबड़ा जिला बारां राजस्थान

ने विधुत कनेक्शन करा रखा है। अप्रार्थीया का भूखण्ड ग्राम रिझडी मे मेन रोड पर प्रार्थी की भूमि के नजदीक होने से प्रार्थी उक्त भूखण्ड पर कब्जा करना चाहता है एंव प्रार्थी को बेदखल करना चाहता है। उक्त प्रार्थना पत्र का क्षेत्राधिकार श्रवणाधिकार सम्मानीय न्यायालय को नही होने की वजह से सुनने का अधिकार श्रीमान को प्राप्त नही है। प्रार्थी अपनी विवादग्रस्त भूमि की पेमाइश करवाकर निर्धारित क्षेत्रफल पर कब्जा करने का अधिकार है। जिस पर प्रार्थी द्वारा कब्जा नही करके अप्रार्थी के भूखण्ड पर कब्जा करना चाहता है। उक्त आशय का वाद अप्रार्थीया नम्बर 27 ने सिविल न्यायालय में पेश कर रखा है। अतः जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। बहस के दौरान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम रीझडी तहसील छबडा में स्थित है। जो प्रार्थी एवं अप्रार्थी क्रम 1 ता 8 एवं अप्रार्थी क्रम 23 ता 26 तथा गणपति व पुष्पा के शमलाती खातेदारी में दर्ज है उक्त भूमि प्रार्थी के पिता रतना के खातेदारी की थी। रतना की मृत्यु लगभग 40 वर्ष पूर्व हो चुकी है जिसके जायज वारिस तथा कायम मुकामान प्रार्थी तथा अप्रार्थी क्रम 7,8 है जिनका 1/8 1/8 हिस्सा है प्रार्थी एवं अप्रार्थी क्रम 1 ता 26 के मध्य आपसी सहमति के आधार पर पृथक–पृथक विभाजन कर काश्त करतें चले आ रहे है। अप्रार्थी क्रम 27 बनासीबाई लडाकु झगडालु किस्म की महिला है जो प्रार्थी के कब्जे काश्त में चली आ रही भूमि खसरा नम्बर 16/2 पर वगैर किसी अधिकार के जबरन ताकत के बल पर कब्जा करने पर आमादा है। अप्रार्थी क्रम 27 द्वारा प्रार्थी की भूमि पर जबरन कब्जा कर प्रार्थी को बेदखल कर दिया तो प्रार्थी को अपरिमित क्षति होगी। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें तथा अप्रार्थी क्रम 27 को पावन्द किया जावें। अप्रार्थी क्रम 27 ने एक वाद पत्र माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश (व.ख.) प्रथम छबडा में बउनवान बनासी बाई बनाम श्योजी उर्फ शिवनारायण पेश किया हुआ है अप्रार्थी क्रम 27 प्रार्थी को नाजयज परेशान कर रही है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें।

बहस के दौरान अभिभाषक अप्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थी क्रम 27 को प्रार्थी की भूमि से किसी प्रकार का कोई लेना देना नही है। प्रार्थी ने अपनी भूमि के अलावा सरकारी भूमि पर काविज है जिसे बेदखल किया जावें। अप्रार्थी को एक भू–खण्ड ग्राम रीझडी में आवादी भूमि खसरा नम्बर 60 रकबा 0.4300 है० भूमि में स्थित है जिसमें अन्य गावं वालों के भू–खण्ड है आवादी भूमि ग्राम पंचायत के खातेदारी में है। एक वाद प्रार्थीया द्वारा न्यायालय ए.सी.जे छबडा में कर रखा है जो तलवी की स्टेज पर है उक्त भू–खण्ड को ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थीया आवास होने के कारण इन्द्र आवास के तहत भू–खण्ड पर कब्जा सम्भलाया था तब से प्रार्थीया बनासी बाई मकान बनाकर निवास करती चली आ रही है। अप्रार्थीया का भू–खण्ड ग्राम रीझडी मे मेड रोड पर प्रार्थी की भूमि के नजदीक होने से प्रार्थी उक्त भू–खण्ड पर कब्जा करना चाहता है तथा अप्रार्थीया को बेदखल करना चाहता है। उक्त प्रार्थना पत्र का सूनने का क्षैत्राधिकार श्रीमान को नही है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने से खारिज फरमाया जावें।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

7. मोहनलाल आयु 65वर्ष आत्मज रतना जाति धाकड़ निवासी ग्राम रीझड़ी तहसील छबड़ा जिला बारां राजस्थान

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम रीझडी सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 36 में प्रार्थी का नाम बतौर खातेदार दर्ज है जिसमें प्रार्थी का 1/8 हिस्सा दर्ज है प्रार्थी एवं अप्रार्थी क्रम 27 के मध्य भूमि पर कब्जा बाबत् विवाद है। मुख्य विवाद खसरा नम्बर 16/2 को लेकर है खसरा नम्बर 16/2 प्रार्थी सहखातेदार है एवं प्रार्थी का हिस्सा 1/8 है प्रथमतः यह स्पष्ट नही है कि प्रार्थी का खसरा नम्बर 16/2 में कौनसा हिस्सा है तथा दुसरा प्रार्थी द्वारा कोई सीमाज्ञान रिपोर्ट/दस्तावेज पेश नही कि गई है। जिससे यह साबित हो सके कि अप्रांर्थीगण क्रम 27 द्वारा प्रार्थी की भूमि पर कब्जा करने का प्रयाय किया जा रहा है ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में नही है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
आर.ए.एस.
छबडा (बारां)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा

7. मोहनलाल आयु 65वष आत्मज ...